भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 190
दिनांक 21 जून, 2019 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्र

190. श्री एच॰ वसंतकुमारः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) की स्थापना हेतु आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने देश में एडब्ल्यूसी की आवश्यकता और उपलब्धता से संबंधित कोई आकलन किया है और यदि हां, तो विशेषकर तमिलनाडु में तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और अधिक एडब्ल्यूसी की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक ऐसे प्रस्तावों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी   महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : देश में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष में प्रत्येक वर्ष आबंटित, निर्मुक्त तथा उपयोग में लाई गई निधियों का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-। से **IV** में दिया गया है ।

(ख) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों की अपनी आवश्यकता का पुनः निर्धारण करें । 01 दिसम्बर, 2014 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों का स्थान बदलने के लिए भी प्राधिकृत किया जा चुका है । आंगनवाड़ी केंद्रों का स्थान बदलते समय पर्याप्त भूमि, भवन, जल सुविधाओं की उपलब्धता, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों द्वारा वहां पहुंचने की सुगमता तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों के मामले में अधिकतम दूरी 5 किमी. और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आंगनवाड़ियों के मामले में 3 कि.मी. और जनजातीय क्षेत्रों में 1.5 कि.मी. से अधिक न हो - इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाना है ।

(ग) और (घ) : आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अंतर्गत कुल 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए, जिनमें से अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्रों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किया जा चुका है ।

*****

अनुलग्नक-I

'आंगनवाड़ी केंद्र' विषय पर श्री एच॰ वसंतकुमार द्वारा दिनांक 21जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 190 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2016-17 के दौरान निर्मुक्त निधियां		
		सामान्य		
		अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त निधियां	प्रयुक्त निधियां
1	आंध्र प्रदेश	29181.74	14590.85	10683.62
2	बिहार	44755.08	32823.24	24180.03
3	छत्तीसगढ	23544.28	16921.47	21763.98
4	गोवा	917.67	458.83	164.23
5	गुजरात	28651.54	31788.45	27260.76
6	हरियाणा	14834	12893.84	11240.22
7	झारखंड	22688.66	13325.75	8011.03
8	कर्नाटक	32470.64	16235.33	24972.47
9	केरल	20509.06	24850.34	24093.59
10	मध्य प्रदेश	45980.31	43124.79	41258.39
11	महाराष्ट्र	51439.62	71393.73	76898.59
12	ओडिशा	35630.84	38085.8	36054.63
13	पंजाब	16275.01	11246.52	10893.25
14	राजस्थान	31038.94	25486.48	23875.03
15	तमिलनाडु	28000.3	15731.91	8815.7
16	तेलंगाना	19669.76	9654.88	9467.37
17	उत्तर प्रदेश	90387.95	95627.23	86504.44
18	पश्चिम बंगाल	55610.05	27805.02	-15616
19	दिल्ली	11160.11	6560.79	747.54
20	पुदुचेरी	1181.74	590.87	590.87
21	हिमाचल प्रदेश	16407.14	18694.25	17583.56
22	जम्मू और कश्मीर	26300.45	21105.03	14286.35
23	उत्तराखंड	15442.56	12043.25	8749.01
24	अंडमान और निकोबार	551.92	934.06	934.06
25	चंडीगढ़	539.86	571.7	571.7
26	दादरा और नागर हवेली	365.81	365.81	365.81
27	दमन और दीव	133.84	133.84	133.84
28	लक्षद्वीप	481.11	78.63	78.63
29	अरुणाचल प्रदेश	8591.49	7199.13	5835.64
30	असम	49218.48	44425.65	34194.62
31	मणिपुर	9857.74	7412.65	4959.53
32	मेघालय	5676.27	5370.85	5350.74
33	मिजोरम	3164.76	2172.8	2195.92
34	नागालैंड	3884.45	4469.91	4772.03
35	सिक्किम	1537.34	768.68	595.07
36	त्रिपुरा	8579.66	7671.45	6066.96
कुल		754660.18	642613.81	538533.21

टिप्पणी : (1) निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पिछले वर्ष के दौरान अप्रयुक्त शेष राशि/खर्च किए गए अतिरिक्त व्यय के समायोजन के बाद अनुमोदित आबंटन में से निर्मुक्त की गई हैं ।

(2) प्रयुक्त नैगेटिव निधि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि को दर्शाता है ।

(3) पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण निर्मुक्त निधियां/अनुमोदित आबंटन प्रयुक्त निधियों से अधिक हैं ।

एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वनयन योजना

अनुलग्नक-II

'आंगनवाड़ी केंद्र' विषय पर श्री एच॰ वसंतकुमार द्वारा दिनांक 21जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 190 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2017-18 के दौरान निर्मुक्त निधियां		
		सामान्य		
		अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त निधियां	प्रयुक्त निधियां
1	आंध्र प्रदेश	22222.12	24629.79	22012.06
2	बिहार	38381.93	35851.96	24204.64
3	छत्तीसगढ	19351.46	28345.16	28100.38
4	गोवा	530.03	585.64	517.4
5	गुजरात	21604.78	21581.54	19675.44
6	हरियाणा	10888.88	13601.08	10648.12
7	झारखंड	16057.34	14879.45	8157.92
8	कर्नाटक	26394.44	32177.98	38020.58
9	केरल	14255.09	20186.77	18103.8
10	मध्य प्रदेश	38534.69	46683.69	41044.11
11	महाराष्ट्र	44035.79	58469.85	51980.09
12	ओडिशा	28603.34	34543.96	27505.26
13	पंजाब	10965.67	13998.21	8816
14	राजस्थान	23913.52	30339.08	21525
15	तमिलनाडु	17790.77	14394.25	14339.27
16	तेलंगाना	14347.47	18905.07	18831.04
17	उत्तर प्रदेश	70772.24	80279.47	40917.54
18	पश्चिम बंगाल	45755.55	27805.04	-12283.61
19	दिल्ली	6278.02	6560.53	-780.79
20	पुदुचेरी	421.65	590.88	590.88
21	हिमाचल प्रदेश	11828.07	14898.51	15249.1
22	जम्मू और कश्मीर	20305.29	14383.93	14541.83
23	उत्तराखंड	11226.46	11666.46	10194.2
24	अंडमान और निकोबार	501.85	974.13	974.13
25	चंडीगढ़	339.162	471.88	471.88
26	दादरा और नागर हवेली	186.12	182.9	182.9
27	दमल और दीव	66.373	139.28	139.28
28	लक्षद्वीप	76.375	39.46	39.46
29	अरुणाचल प्रदेश	4184.17	8218.4	7347.02
30	असम	37084.11	37115.73	23497.78
31	मणिपुर	6797.25	10284.52	5454.4
32	मेघालय	3326.62	5466.89	4125.93
33	मिजोरम	1415.31	3416.45	3127.52
34	नागालैंड	2214.17	6816.95	6128.98
35	सिक्किम	793.03	1426.33	1125.88
36	त्रिपुरा	6084.74	6381.42	5741.05
	कुल	577533.88	646292.64	480266.47

टिप्पणी : (1) निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पिछले वर्ष के दौरान अप्रयुक्त शेष राशि/खर्च किए गए अतिरिक्त व्यय के समायोजन के बाद अनुमोदित आबंटन में से निर्मुक्त की गई हैं ।

(2) प्रयुक्त नैगेटिव निधि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि को दर्शाता है ।

(3) पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण निर्मुक्त निधियां/अनुमोदित आबंटन प्रयुक्त निधियों से अधिक हैं ।

एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वनयन योजना

अनुलग्नक-III

'आंगनवाड़ी केंद्र' विषय पर श्री एच॰ वसंतकुमार द्वारा दिनांक 21जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 190 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2018-19 के दौरान निर्मुक्त निधियां		
		सामानय		
		अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त निधियां	प्रयुक्त निधियां
1	आंध्र प्रदेश	28884.89	32895.05	वित्त वर्ष 2018-19 की खर्च न की गई राशि/अतिरिक्त व्यय को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण पत्र/व्यय विवरण प्राप्त होने के पश्चात 2019-20 में निर्मुक्त की जाने वाली निधियों में समायोजित किया जाएगा ।
2	बिहार	47613.06	36974.64	
3	छत्तीसगढ	23943.28	28735.52	
4	गोवा	721.02	778.06	
5	गुजरात	25716.23	29206.4	
6	हरियाणा	13080.7	13276.2	
7	झारखंड	19003.49	18797.43	
8	कर्नाटक	31161.5	43506.22	
9	केरल	15699.34	17058	
10	मध्य प्रदेश	47132.09	50633.1	
11	महाराष्ट्र	50947.2	56705.31	
12	ओडिशा	32117.23	33841.79	
13	पंजाब	12981.63	13411.95	
14	राजस्थान	27873.05	29085.81	
15	तमिलनाडु	23379.78	26488.7	
16	तेलंगाना	17816.79	21257.53	
17	उत्तर प्रदेश	80195.01	85548.34	
18	पश्चिम बंगाल	51081.49	54839.34	
19	दिल्ली	5479.59	5457.19	
20	पुद्दुचेरी	447.65	452.11	
21	हिमाचल प्रदेश	18179.26	24112.44	
22	जम्मू और कश्मीर	29614	34361.46	
23	उत्तराखंड	17648.3	18465.2	
24	अंडमान और निकोबार	756.8	883.04	
25	चंडीगढ़	553.9	634.14	
26	दादरा और नागर हवेली	300.97	354.23	
27	दमल और दीव	76.45	97.13	
28	लक्षद्वीप	169.44	245.2	
29	अरुणाचल प्रदेश	7528.29	7375.84	
30	असम	50802.45	49561.1	
31	मणिपुर	9709.45	8892.39	
32	मेघालय	5613.68	4996.77	
33	मिजोरम	2544.32	2493.46	
34	नागालैंड	4828.28	3721	
35	सिक्किम	1430	1500.366	
36	त्रिपुरा	8940.65	9406.72	
	कुल	713971.26	766049.176	

टिप्पणी : (1) निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पिछले वर्ष के दौरान अप्रयुक्त शेष राशि/खर्च किए गए अतिरिक्त व्यय के समायोजन के बाद अनुमोदित आबंटन में से निर्मुक्त की गई हैं ।

(2) दिनांक 1.10.2018 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां अनुमोदित आबंटन से अधिक है ।

एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वनयन योजना

अनुलग्नक-IV

'आंगनवाड़ी केंद्र' विषय पर श्री एच॰ वसंतकुमार द्वारा दिनांक 21 जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 190 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2019-20 में निर्मुक्त निधियां (15.06.2019 तक)	
		सामान्य	
		अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त निधियां
1	आंध्र प्रदेश	36778.6	9194.65
2	बिहार	63915.2	15978.8
3	छतीसगढ	33243.8	8310.95
4	गोवा	912.18	228.05
5	गुजरात	32581.23	8145.31
6	हरियाणा	17475.56	4368.89
7	झारखंड	25608.28	6402.07
8	कर्नाटक	41895.96	10473.99
9	केरल	22766.91	5691.73
10	मध्य प्रदेश	60763.99	15191
11	महाराष्ट्र	66783.74	16695.94
12	ओडिशा	44570.7	11142.68
13	पंजाब	18657.52	4664.38
14	राजस्थान	37642.03	9410.51
15	तमिलनाडु	33477.59	8369.4
16	तेलंगाना	24058.55	6014.64
17	उत्तर प्रदेश	109850.13	27462.53
18	पश्चिम बंगाल	68091.96	17022.99
19	दिल्ली	11431.13	2857.78
20	पुद्दुचेरी	604.21	151.05
21	हिमाचल प्रदेश	22201.73	5550.43
22	जम्मू और कश्मीर	37701.07	9425.27
23	उत्तराखंड	21470.94	5367.74
24	अंडमान और निकोबार	994.91	248.73
25	चंडीगढ़	765.79	191.45
26	दादरा और नागर हवेली	375.9	93.98
27	दमल और दीव	127.45	31.86
28	लक्षद्वीप	95.78	23.95
29	अरुणाचल प्रदेश	10187.2	2546.8
30	असम	63171.81	15792.95
31	मणिपुर	14238.09	3559.52
32	मेघालय	7049.75	1762.44
33	मिजोरम	3422.38	855.6
34	नागालैंड	6370.59	1592.65
35	सिक्किम	2182.15	545.54
36	त्रिपुरा	11799.79	2949.95
कुल		953264.6	238316.2

एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वनयन योजना